न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 45 / 2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हुरमी पत्नी अब्दुला जाति मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर 2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बलदेव नगर बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहनलाल खिलेरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/03/2026

प्रार्थीनी हुरमी पत्नी अब्दुला जाति मुसलमान निवासी सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है– "प्रार्थीनी के खातेदारी के खेत मौजा सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 1432 / 573 रकबा 2–2946 हैक्टेयर का आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थीनी की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए है। उक्त खसरा की नकल चालू जमाबंदी एवं आंशिक नक्शा साथ पेश है। प्रार्थीनी के सेढा–सेढ ही सड़क मार्ग खसरा नम्बर 574 / 203 रकबा 0–6637 अवस्थित है, जिस पर वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण करवाया गया है, जो निर्माण वास्तविक रूप से स्वीकृतशुदा व तरमीमशुदा भूमि पर नहीं कर अन्य स्थान पर किया गया है। जब उक्त मार्ग पर मौके पर सड़का का निर्माण किया गया तब उक्त सड़क की पैमाईश नहीं की गई तथा बिना पैमाईश किए ही वास्तविक स्थान पर सड़क का निर्माण नहीं कर गलत स्थान पर सड़क का निर्माण कर दिया है तथा सड़क की तरमीम राजस्व रेकर्ड में की गई है, वो तरमीम मौके पर सड़क के अनुसार नहीं की गई। सड़क मार्ग खसरा नम्बर 574 / 203 के दोनों तरफ [illegible] की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1432 / 573 व 1483 / 1434 आई [illegible] खसरा 1483 / 1434 रकबा 0–3966 हैक्टेयर भूमि को नजीर स्थान को [illegible] कब्जा सुपूर्द कर [illegible] तत्पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उनवान–हुरमी बनाम तहसीलदार सेड़वा वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 45/2025

विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भारतमाला सड़क का निर्माण करते वक्त प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि 1432/573 में कर दिया तथा उक्त सड़क का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व तरमीम करके नवीन खसरा नम्बर 574/203 कायम किया गया। उक्त नवीन खसरा नम्बर 574/203 पर विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सड़क मार्ग हेतु तरमीमशुदा भूमि को छोड़कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1432/573 में निर्माण करने के कारण प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1432/573 रकबा 2–2946 हैक्टेयर में से भारतमाला सड़क का निर्माण होने के कारण 1–02 बीघा भूमि कम हो गई तथा प्रार्थीनी की भूमि सड़क के दूसरी तरफ खसरा नम्बर 1483/1434 व खसरा नम्बर 574/203 के मध्य 2–02 बीघा खाली भूमि रह गई। इस प्रकार सड़क मार्ग खसरा नम्बर 574/203 की तरमीम की गई, जो तरमीम मौके पर सड़क के निर्माण के अनुसार नहीं की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद सड़क मार्ग में भारी अन्तर है तथा विप्रार्थी संख्या 02 ने राजस्व रेकर्ड की जांच किए बिना ही तरमीम के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं किया गया तथा सड़क का निर्माण प्रार्थीनी की भूमि कर दिया, जिस कारण प्रार्थीनी की भूमि सड़क के दोनों तरफ बंट गई है। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड की जांच किए बिना व मौके की जांच किए बिना ही गलत स्थान पर सड़क का निर्माण कर दिया है, जिस कारण प्रार्थी की भूमि का रकबा कम हो गया तथा सड़क के दूसरी तरफ प्रार्थी की भूमि 02–02 बीघा रह गई है, जिस भूमि का प्रार्थीनी के नाम से नया खसरा नम्बर संयोजित किया जाना न्यायोचित है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद प्रार्थीनी के कब्जा काश्त व सड़क के अनुसार नहीं करके गलत(अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेतों के मौके के कब्जा काश्त की स्थिति व मौजूद सड़क मार्ग में भारी भिन्नता है, इसलिए प्रार्थी अपने खेत के कब्जा काश्त अनुसार तथा मौके पर मौजूद चल रही सड़क मार्ग जो परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल दर्शाई गई है, के तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहती है, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश है। सड़क मार्ग मौ[illegible] 'अ' के अनुसार बरंग लाल के अनुसार चल रही है, परन्तु राजस्व कर्म[illegible] ही लट्ठा ट्रेस में सड़क की गलत स्थान पर गलत तरमी[illegible] के अनुसार नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार सड़क मौके पर मौजूद नहीं है। इसलिए प्रार्थी मौके पर चल रही सड़क के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहती है तथा सड़क मार्ग के दूसरी प्रार्थीनी की बच रही भूमि का नया खसरा नम्बर संयोजित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सड़क की भूमि का मौके पर निर्माण के अनुसार तरमीम करते हुए सड़क मार्ग के दूसरी तरफ खसरा नम्बर 1483/1434 व खसरा नम्बर 574/203 के मध्य प्रार्थीनी की शेष भूमि को नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार प्रार्थीनी के नाम से नया खसरा रकबा 2–02 बीघा का संयोजित(शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावें।"

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2025/1401 दिनांक 29.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/124 दिनांक 13.01.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन अनुसार **"मौके पर प्रार्थी द्वारा संलग्न आवेदन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, लट्ठाट्रेस व नामान्तरकरण का मौके से मिलान करने पर पाया कि मूल खसरा नम्बर 203 रकबा 40–13 बीघा का था जो सड़क अवाप्ति के नामान्तरकरण अनुसार मूल खसरा तीन भाग में विभाजित हुआ था। जिसके खसरा नम्बर 573/203 रकबा 28–07 बीघा, खसरा नम्बर 573/203 रकबा 8–04 बीघा भूमि दो खसरे खातेदारी भूमि है एव खसरा नंबर 574/203 रकबा 4–02 बीघा भूमि गै.मु.सड़क की सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई, लेकिन सड़क निर्माण के समय मौके पर नामांतरकरण अवाप्ति के अनुसार सड़के पश्चिम भाग में खसरा नंबर 575/203 रकबा 8–04 बीघा के स्थान पर 12–06 बीघा भूमि रह गई व खसरा नंबर 573/203 रकबा 28–07 बीघा के स्थान पर 24–05 बीघा भूमि मौके पर रह गई और [illegible] रकबे के अनुसार सड़क निर्माण के बाद खसरा नंबर 1432/573 रकबा 2–2948 हैक्टेयर [illegible] पर 1–9547 हैक्टेयर भूमि मौके पर सड़क के पूर्व की तरफ है, जबकि खसरा नंबर 1432/573 रकबा 0–3399 हैक्टेयर**

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

भूमि सड़क के पश्चिम की तरफ वादी हुरमी पत्नी अब्दुला के पास है एवं मौके पर वादी का कब्जा भी है। खसरा नंबर 573/203 व खसरा नंबर 575/203 में बेचान होने से वर्तमान में खसरा नंबर 1432/573 रकबा 2—2946 हैक्टेयर, 1431/573 रकबा 2—2945 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1483/1434 रकबा 0—3966 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1484/1434 रकबा 0—1336 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1482/1434 रकबा 0—1335 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1432/575 रकबा 0—6637 हैक्टेयर दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में नाम संलग्न जमाबंदी नकल व खाते में परिवर्तन लगातार नामांतरकरण अनुसार हुआ है, जो फर्द के साथ संलग्न है। लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद व नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने खसरे की तरमीम कब्जे अनुसार चाही गई है। अन्य खसरों के खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा कोई वादी या प्रतिवादी नहीं है। इस कारण उनकी तरमीम रकबे अनुसार यथास्थिति रखते हुए खातेदार हुरमी पत्नी अब्दुला कौम मुसलमान सा. देह खातेदार की वर्तमान परिशिष्ट 'ए' अनुसार है व जमाबंदी में खसरा नंबर 1432/573 रकबा 2—2946 हैक्टेयर दर्ज है। इसके स्थान पर तरमीम दुरुस्ती परिशिष्ट 'बी' अनुसार करते हुए जमाबंदी में खसरा नंबर 1432/573 रकबा 1—9547 हैक्टेयर जो सड़क के पूर्व की तरफ है। खसरा नंबर 1432/573 रकबा 0—3399 हैक्टेयर भूमि सड़क की पश्चिम की तरफ जो परिशिष्ट 'बी' अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में सरकारी सड़क का रकबा व मौका प्रभावित नहीं हो रहा है। मौका फर्द रूबरू मौतबरान तैयार कर पढकर सुनाई गई। सही होना स्वीकर कर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किए।"

प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीनी अधिवक्ता ने बहस की। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विवेचन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

का प्रार्थना पत्र 45/2025 उनवान हुरमी बनाम तहसीलदार सेड़वा वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन पत्रांकः भू.अ./2026/124 दिनांक 13.01.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' में दर्शाए अनुसार खसरा नंबर 1432/573 रकबा 1–9547 हैक्टेयर जो सड़क के पूर्व की तरफ है। खसरा नंबर 1432/573 रकबा 0–3399 हैक्टेयर भूमि सड़क की पश्चिम की तरफ जो परिशिष्ट 'बी' अनुसार दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन पत्रांकः भू.अ./2026/124 दिनांक 13.01.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2026. को खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा जिला –बाड़मेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 124 दिनांक– 13/01/2026

प्रेषित :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा जिला – बाड़मेर

विषय :–राजस्व आवेदन संख्या 45 / 2025 अनवान हुरमी बनाम तहसीलदा सेड़वा अन्तर्गत 131,136 आर.एल.आर. एक्ट में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंग :– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के आदेश क्रमांक / रीडर / 2025 / 1401 दिनांक 04.11.2025 के सन्दर्भ में।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक सन्दर्भ में निवेदन हैं कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मे आवेदन संख्या 45 / 2025 अनवान हुरमी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत 131,136 आर.एल.आर. एक्ट में राजस्व ग्राम सेड़वा के खसरा संख्या 1432 / 573,1483 / 1434, व 574 / 203 तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी थी जिसकी पालना में पटवार मण्डल सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के मूल खसरा संख्या 1432 / 573,1483 / 1434, व 574 / 203 के मौके पर हल्का पटवार के साथ जाकर मौके अनुसार मौके पर मौका फर्द तैयार की गई एवं राजस्व रिकार्ड वर्तमान लट्ठाट्रेस अनुसार जमाबंदी में रकबा भिन्ना दर्ज हो गया जो संलग्न फर्द अुनसार मौके पर रूबरू मौतबिरान रिपोर्ट तैयार की गई। वर्तमान तरमीम अनुसार परिशिष्ट "A" प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती परिशिष्ट "B" अनुसार तैयार की गई दोनो परिशिष्ट व मौका फर्द इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी को प्रषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
सेड़वा

विषय :- मा० न्यायालय के राजस्व आवेदन सं 45/2025 उनवान दुरस्ती बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR एक्ट में तरमीम दुरुस्ती की तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत् ।

प्रसंग - आपका आदेश क्रमांक / 1782-1783 दि० 04/11/25

महोदयजी, उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 45/2025 उनवान दुरस्ती बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR अधिनियम के ग्राम सेड़वा पं.स. सेड़वा के खसरा सं. 1483/1434 व 574/203 की तरमीम दुरुस्ती मौके पर कब्जा काश्त, भारतमाला सड़क की अवस्थिति अनुसार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में सादर पेश है।

भवदीय

संलग्न
(1) मौका फर्द मय नक्शा
परिशिष्ट 'अ' व 'ब'

[signature] 24/12/25

बसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त सेड़वा तह. सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

मौका-फर्द

आज दिनाँक 24.12.2025 को कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू० अ०/1782-83 दिनाँक 04.11.2025 की पालना मे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के क्रमांक/कोर्ट/2025/1401 दिनाँक 29.10.2025 के आदेशानुसार माननीय न्यायालय मे मु.नं. 45/2025 अनवान हुसी बनाम तहसीलदार को RLR Act की धारा 131, 136 के तहत दर्ज परिवाद मे प०म० सेड़वा के राजस्व ग्राम सेड़वा के ख.नं. 1432/573 रकबा 2.2946 हैक्टेयर आराजी भूमि की तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तैयार करने हमराह हल्का पटवारी सेड़वा के साथ मौके पर आये।

प्रार्थी द्वारा संलग्न आवेदन अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, लठ्ठाट्रेस व नामान्तरकरण का मौके से मिलान करने पर पाया कि मूल ख.नं. 203 रकबा 40-13 बीघा था जो सड़क अवाप्ति के नामा० अनुसार मूल खसरा तीन भाग मे विभाजित हुआ था। जिसके ख.नं. 573/203 रकबा 28-07 बीघा 575/203 रकबा 8-04 बीघा भूमि दो खसरे खातेदारी भूमि है एवं ख.नं. 574/203 रकबा 4-02 बीघा भूमि गै० मु० सड़क की सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई। लेकिन सड़क निर्माण के समय मौके पर नामा० अवाप्ति के अनुसार सड़क पश्चिम भाग मे ख.नं. 575/203 रकबा 8-04 बीघा व पूर्व की तरफ ख.नं. 573/203 रकबा 28-07 बीघा अनुसार निर्माण नहीं हुआ। सड़क निर्माण अनुसार ख.नं. 575/203 रकबा 8-04 बीघा के स्थान पर 12-06 बीघा भूमि रह गई व ख.नं. 573/203 रकबा 28-07 बीघा के स्थान पर 24-05 बीघा भूमि मौके पर रह गई और उक्त रकबे के अनुसार सड़क निर्माण के बाद ख.नं. 1432/573 रकबा 2.2946 है० के स्थान पर 1.9547 हैक्टेयर भूमि मौके पर सड़क के पूर्व की तरफ है जबकि ख.नं. 1432/573 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि सड़क के पश्चिम की तरफ ~~पटवारी~~ [illegible] महुआ के पास है एवं मौके ~~पर~~ पर वाडी का [illegible]

ख.नं. 573/203 [illegible] ख.नं. 575/203 मे बेचान होने से वर्तमान मे ख.नं. 1432/573 रकबा 2.2946 है०, 1431/573 रकबा 2.2945 है० व ख.नं. 1483/1434 रकबा 0.3966 है० 1484/1434 रकबा 0.1336 है० व ख.नं. 1482/1434 रकबा 0.1335 है० ख.नं. 1433/575 रकबा 0.6637 है० दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested

24/12/25

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त सेड़वा तह. सेड़वा

24/12/2025
प० सेड़वा

वर्तमान ~~के~~ जमाबंदी में नाम संलग्न जमाबंदी नकल व खाते में परिवर्तन लगातार नामा० अनुसार हुआ है जो फर्द के साथ संलग्न है। लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद व नजरी नक्शा अनुसारी प्रार्थी द्वारा अपने खसरे की तरमीम कब्जे अनुसार चाही गई है। अन्य खसरों के खातेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा कोई वादी या प्रतिवादी नहीं है। इस कारण उनकी तरमीम रकबे अनुसार यथा स्थिति रखते हुए खातेदार दुरस्ती पत्नी अब्दुल्ला कौम मुसलमान सा. देह खातेदार-1 की वर्तमान तरमीम परिशिष्ट "A" अनुसार है व जमाबंदी में ख.नं. 1432/573 रकबा 2.2946 हैक्टेयर दर्ज है इसके स्थान पर तरमीम दुरस्ती परिशिष्ट "B" अनुसार करते हुए जमाबंदी में ख.नं. 1432/573 रकबा 1.9547 है ख जो ~~ख.नं. 1432~~ सड़क के पूर्व की तरफ है। ख.नं. 1432/573 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि सड़क की पश्चिम की तरफ जो परिशिष्ट "B" दुरस्त किया जाना उचित है। प्रकरण में सरकारी सड़क का रकबा व मौका प्रभावित नहीं हो रहा है।

मौका फर्द रूबरू मौतबरान तैयार कर पढ़कर सुनायी गई सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये।

प्रार्थी कार्य

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

24/12/25

भूअ सेड़वा

जमाल

सुल्तान

24/12/25

वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त सेड़वा तह. सेड़वा

हकीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:44:06 IST
Reason: SelfAttested